अध्याय II : कृषि मंत्रालय

पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग

दिल्ली दुग्ध योजना

2.1 दि.दु.यो. में वित्तीय अनुशासनहीनता

दिल्ली दुग्ध योजना कृषि मंत्रालय के एक उपक्रम में, मार्च 2012 तक कुल ₹ 838.67 करोड़ की हानि हुई थी। लेखापरीक्षा ने इसके वित्तीय प्रबंधन में कई कमियां पायीं। दि.दु.यो. में अपनाई गई रोकड़ प्रबंधन प्रणाली लागत प्रभावी नहीं थी। विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रदान किए गए अग्रिमों के संवितरण तथा समायोजन में भारी उल्लंघन पाए गए थे। इसके अतिरिक्त, यह पाया गया था कि 2009-12 के दौरान दि.दु.यो में लगभग 87 *प्रतिशत* से 90 *प्रतिशत* व्यय निजी जमा खाते में से किया गया था जिसका मतलब है कि भु.ले.का. प्रणाली द्वारा सुनिश्चित की गई आवश्यक जांचों को अनदेखा किया गया था।

दिल्ली दुग्ध योजना (दि.दु.यो.) पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग, कृषि मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है। इसकी स्थापना 1959 में दिल्ली के नागरिकों को उचित मूल्य पर पौष्टिक दूध की आपूर्ति करने के साथ-साथ दूध उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ की गई थी। अधिदेश के अंतर्गत इसे 'न लाभ न हानि' आधार पर कार्य करना था।

कृषि मंत्रालय दि.दु.यो. को इसके संचालन हेतु बजटीय सहायता प्रदान करता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि दि.दु.यो. ने 31 मार्च 2012 तक लगभग ₹ 838.67 करोड़ की हानियां की थी।

लेखापरीक्षा ने संगठन में खराब वित्तीय प्रबंधन के उदाहरण पाए (अक्तूबर 2012) जिनकी अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

1. दि.दु.यो. में रोकड़ प्रबंधन

निष्फल व्यय

केन्द्र सरकार द्वारा प्रारम्भ विभागीयकृत लेखांकन प्रणाली में सिविल लेखा नियम पुस्तिका के अनुसार, प्राधिकृत बैंक को सरकारी लेन-देनों का संचालन करने हेतु पूर्णतः

प्रतिपूर्ति की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक भी सरकारी विभागों[1] के रोकड़ अनुरक्षण कार्यों को पूरा करने हेतु बदले में बैंकों को कमीशन प्रदान करता है।

भारतीय स्टेट बैंक दि.दु.यो के सभी बैंकिंग कार्यों हेतु प्राधिकृत बैंक है। भा.स्टे.बैं. पूरे रा.रा.क्षे. में फैली अपनी शाखाओं के माध्यम से दैनिक आधार पर रोकड़ संचालन के व्यवसाय में शामिल विभिन्न संगठनों को रोकड़ इकट्ठा करने की सुविधा प्रदान करता है। भा.स्टे.बैं. की रोकड़ इकट्ठा करने की सुविधा न केवल रोकड़ संग्रहण हेतु श्रमशक्ति परिनियोजन को कम करती है बल्कि रोकड़ संग्रहण तथा प्रेषण को वास्तविक समय आधार पर अनुमत भी करती है। दूसरी ओर, भा.स्टे.बैं. दि.दु.यो. के वितरकों[2] द्वारा रोकड़ को सीधे जमा करने की सुविधा भी प्रदान करता है।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि दि.दु.यो. में दि.दु.यो. बूथों से रोकड़ दैनिक आधार पर ट्रांसपोर्टर्स ठेकेदारों के स्टाफ द्वारा एकत्रित किया जा रहा था जिसे आगे मार्ग-वार फील्ड रोकड़ियों द्वारा एकत्रित करके दि.दु.यो. के रोकड़ प्राप्ति अनुभाग में जमा किया गया था। रोकड़ काउंटर लिपिकों द्वारा अनुभाग में एकत्रित रोकड़ का चालानों से मिलान किया जाता था तथा दि.दु.यो. के बैंक खाते में जमा किया जाता था। यह कार्य चार सहायक दुग्ध संवितरण अधिकारियों, दो रोकड़ काउंटर लिपिकों, छः चालक सह विक्रेताओं, एक नि.श्रे.लि. तथा एक साथी द्वारा किया जाता था।

दि.दु.यो. में रोकड़ का संचालन कर रहे 14 अधिकारियों के वार्षिक वेतन एवं भत्तों पर किए गए व्यय को लगभग ₹60.41 लाख पर परिकलित किया गया।

दि.दु.यो. में मौजूदा प्रणाली प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली को सुनिश्चित नहीं करती क्योंकि पूर्ण रोकड़ संग्रहण को प्रतिदिन बैंक में प्रेषित नहीं किया जाता था।

इसके अतिरिक्त, मार्च 2012 के महीने के रोकड़ संग्रहण तथा प्रेषण के विश्लेषण ने निम्नलिखित उजागर किया:

- दैनिक आधार पर एकत्रित तथा बैंक को प्रेषित औसतन रोकड़ को ₹ 80.34 लाख परिकलित किया गया। इस प्रकार दैनिक आधार पर संचालित रोकड़ काफी अधिक था। इस प्रमात्रा के रोकड़ का निजी संचालन चोरी तथा हानि के जोखिम से युक्त है। दि.दु.यों को भा.स्टे.बैं. द्वारा प्रदान सुविधा का लाभ उठाना चाहिए था।

---

[1] भा.रि.बैं. द्वारा जारी निर्देश-ज्ञापन का पैरा 26

[2] उन वितरकों पर लागू नकद संग्रह प्रणाली जहाँ दैनिक नकदी सीधे बैंक में जमा की जाती है।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2013) कि दि.दु.यो. ने यह मामला भारतीय स्टेट बैंक के समक्ष उठाया था जोकि दि.दु.यो. कर्मचारियों द्वारा तैयार किए गए सरकारी रसीद चालानों के आधार पर ट्रांसपोर्टरों से सीधे किए गए जमा को स्वीकार करने के लिए सहमत हुआ था। यह प्रणाली जुलाई 2013 से कार्यान्वित की गई थी तथा इसके परिणामस्वरूप दि.दु.यो. कर्मचारियों द्वारा रोकड़ संचालन के परिमाण में लगभग 70 *प्रतिशत* तक की कटौती हुई थी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि दि.दु.यो. में रोकड़ प्रबंधन प्रणाली को आगे सुधारा गया था।

2. विभागीय अग्रिमों के आहरण में अनियमितताएं

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली प्रावधान करती है कि अस्थायी अग्रिम या तो सीधे संबंधित पार्टियों को किए जाएं या फिर विभागीय अधिकारियों द्वारा आहरित किए जाएं जो पार्टियों को संवितरित करने हेतु संक्षिप्त बिलों में एक मुश्त ऐसे अग्रिमों के विस्तृत लेखे अनुरक्षित करता है। इसके अतिरिक्त, विभागीय अधिकारियों को अग्रिम प्रदान करते समय निम्नलिखित सुरक्षा निर्धारित की गई है:

1) इन अग्रिमों को संवितरित कर रहे किसी भी अधिकारी द्वारा लिए गये पूर्व अग्रिम से पहले ही संवितरित राशियों हेतु लेखे को विस्तृत बिल उपलब्ध कराए, बिना दूसरा संक्षिप्त बिल आहरित करने को अनुमत नहीं किया जाना चाहिए, अगर उसी समय कोई शेष बचा तो उसे वापस किया जाए।

2) किसी भी मामले में विस्तृत बिल का प्रस्तुतीकरण अग्रिम आहरित किए गए महीने के अगले महीने की समाप्ति से अधिक विलम्बित नहीं होना चाहिए।

3) संबंधित विभागाध्यक्ष को प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर उचित ध्यान सहित राशि की सीमा निर्धारित करनी चाहिए जिसे प्रत्येक अधिकारी द्वारा संक्षिप्त बिलों पर आहरित किया जा सके।

अप्रैल 2010 से मार्च 2012 की अवधि के दौरान दि.दु.यो. के विभागीय अधिकारियों को प्रदान किए अग्रिमों की एक समीक्षा ने निर्धारित प्रावधानों के उल्लंघन को प्रकट किया जैसा कि नीचे ब्यौरा दिया गया है

- **अग्रिम की भारी राशि** - लेखापरीक्षा ने पाया कि दैनिक आधार पर अग्रिम भुगतान ₹ 0.23 लाख से ₹ 14.01 लाख के बीच थे। अग्रिम भुगतानों के समायोजन की प्रवृत्ति के विश्लेषण ने प्रकट किया कि प्रत्येक वर्ष, मार्च माह के दौरान, बकाया अग्रिमों में काफी गिरावट थी। यह दर्शाता है कि अग्रिम भुगतानों

का समायोजन नियंत्रण में था तथा दि.दु.यो. की वित्तीय विवरणियों की अच्छी स्थिति को प्रकट करने हेतु केवल वित्तीय वर्ष के अंतिम माह के दौरान इस संबंध में प्रयास किए गए थे।

- **आहरित अग्रिमों का खराब निर्धारण**- 2010-11 के दौरान, 83 मामलों में आवश्यकता से अधिक अग्रिम का आहरण किया गया था अर्थात् आहरित ₹5.88 लाख की राशि के प्रति ₹ 2.28 लाख को विलम्बों के पश्चात वापस किया गया था। इसी प्रकार, 2011-12 के दौरान, 79 मामलों में ₹ 8.08 लाख की अग्रिम राशि आहरित की गई, जिसके प्रति ₹ 2.96 लाख की राशि को काफी विलम्ब के पश्चात वापस किया था।

- **संहिता प्रावधानों के उल्लंघन में व्यक्तिगत को अग्रिम** - 108 मामले थे, जहाँ संहिता प्रावधानों तथा वित्तीय औचित्य के उल्लंघन में पिछले अग्रिमों का समायोजन करने से पहले दो अधिकारियों को अग्रिम प्रदान किया गया था।

दि.दु.यो. में विभागीय अग्रिम प्रदान करने में उल्लंघन के दो विशिष्ट मामले नीचे उजागर किए गए हैं:

क) दि.दु.यो. के एक कर्मचारी 'एक्स' द्वारा आहरित अग्रिमों का विश्लेषण (2010-11)

- 46 मामलों में कर्मचारी ने ₹3.20 लाख के अग्रिम आहरित किए तथा ₹1.47 लाख की राशि अर्थात् आहरित कुल अग्रिम के 46 *प्रतिशत* को वापस किया था।
- मासिक आधार पर आहरित औसतन अग्रिम तथा वापसी को क्रमशः ₹0.27 लाख तथा ₹0.12 लाख पर परिकलित किया गया।
- 21 मामलों में कुल ₹ 0.75 लाख की राशि आहरित की गई थी। यह पूर्ण अव्ययित राशि वापस की गई थी।

ख) दि.दु.यो. के अन्य कर्मचारी 'वाई' द्वारा आहरित अग्रिमों का विश्लेषण (2011-12)

- 62 मामलों में कर्मचारी ने ₹6.69 लाख के अग्रिम आहरित किए तथा ₹ 2.34 लाख की राशि अर्थात आहरित कुल अग्रिम के 35 *प्रतिशत* को वापस किया।
- मासिक आधार पर आहरित औसतन अग्रिम तथा वापसी को क्रमशः ₹ 0.56 लाख तथा ₹ 0.19 लाख पर परिकलित किया।
- 14 मामलों में कुल ₹ 1.06 लाख की राशि आहरित की गई थी। यह पूर्ण अव्ययित राशि वापस की गई थी।

प्रणालीगत कमजोरियां - म.प्र. दि.दु.यो. ने विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अग्रिम के आहरण हेतु कोई वित्तीय सीमा निर्धारित नहीं की थी। नमूना जांच आधार पर ऊपर उजागर अनियमितताएं एक वित्तीय सीमा को निर्धारित करने तथा अस्थायी अग्रिमों का संचालन करने हेतु विभागीय अनुदेश जारी करने की भी आवश्यकता को रेखांकित करती है।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2013) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के आधार पर, विभाग अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा रोकड़ अग्रिम के आहरण हेतु मौद्रिक सीमा अब निर्धारित कर दी गई थी।

3. नि.ज.खा. का संचालन

सिविल लेखे नियम पुस्तिका तथा अन्य संहिता प्रावधानों[3] के अंतर्गत प्रशासनिक अध्यक्ष को, बैंक जिसमें खाता खोले जाना प्राधिकृत है द्वारा समग्र जांच किए जाने के तहत, सीधे खाते में प्राप्तियों को जमा कराने तथा उसमें से आहरण करने की सुविधा प्रदान करने हेतु एक निजी जमा खाते (नि.ज.खा.) का अनुरक्षण करने का प्रावधान है।

2009-10 से 2011-12 की अवधि के लिए दि.दु.यो. द्वारा अनुरक्षित नि.ज.खा. से किए गए व्यय के विश्लेषण ने प्रकट किया कि व्यय दि.दु.यो. द्वारा 2009-10 से 2011-12 की अवधि के दौरान किए गए कुल व्यय के 87 *प्रतिशत* से 90 *प्रतिशत* के बीच था। परिणामस्वरूप, पार्टियों/अभिकरणों को भुगतान जारी करने से पहले भुगतान एवं लेखा कार्यालय (भु.ले.का.) द्वारा की गई जांचों को अनदेखा किया गया था। दि.दु.यो. में पूर्ण संस्वीकृति कार्यबल के साथ कार्य कर रहे भु.ले.का. को भी इसके कार्यों से कार्यमुक्त कर दिया गया था तथा इसकी भूमिका स्थापना व्ययों के संसाधन तक ही सीमित थी।

आगे, लेखापरीक्षा ने पाया कि व्यय की मदें अर्थात् संयंत्र एवं मशीनरी, मुख्य कार्य एवं लघु कार्य, मजदूरी, टैम्पो/वाहनों को किराए पर लेने के कारण परिवहन तथा कार्यालय व्ययों को नि.ज.खा. में शामिल करने हेतु मंत्रालय द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया था। इस प्रकार नि.ज.खा. के अंतर्गत इन शीर्षों से संबंधित व्ययों को दर्ज करना अप्राधिकृत था।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2013) कि मदों पर हुए जिस व्यय को भु.ले.का. खाते में सम्मिलित करने के लिए अनुमोदित नहीं किया गया था, उसे भविष्य में केवल

[3] सा.वि.नि. का नियम 88 एवं 89 तथा प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली का नियम 191

भु.ले.का., दि.दु.यो. के माध्यम से ही किए जाने को सुनिश्चित करने की सलाह दी गई थी।

मंत्रालय का उत्तर लेखापरीक्षा निष्कर्षों की पुष्टि करता है कि दि.दु.यो. ने रोकड़ प्रबंधन एवं अग्रिम संवितरण में अच्छी वित्तीय प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया था।

2.2 लाइसेंस शुल्क की कम वसूली

दिल्ली दुग्ध योजना अपने परिसर में परिचालित भारतीय स्टेट बैंक से निर्धारित दरों पर लाइसेंस शुल्क की वसूली करने में विफल हुआ था। इसके कारणवश मार्च 1999 से नवम्बर 2012 तक की अवधि के दौरान ₹ 1.88 करोड़ के लाइसेंस शुल्क की कम वसूली हुई थी।

सरकार अपने विभागों द्वारा दिए गए स्थान के बदले में बैंकों पर लगाए जाने वाले लाईसेंस शुल्क की दर आवधिक रूप से निर्धारित करती है। इस नीति के अनुरूप, संपदा निदेशालय (स.नि.), सामान्य पूल आवास के संबंध में वाणिज्यिक संस्थाओं से वसूली योग्य लाइसेंस शुल्क की राशि को निर्दिष्ट करते हुए आदेश जारी करता है।

दिल्ली दुग्ध योजना (दि.दु.यो.) के अभिलेखों की जांच से पता चला कि वर्ष 1972 में उनके परिसर में भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा स्थापित की गई थी। दिल्ली दुग्ध योजना एवं बैंक के मध्य हुए अनुबंध के अनुसार 1198.64 वर्ग फुट का क्षेत्र बैंक को पट्टे पर दिए गए क्षेत्र के रूप में रिकार्ड किया गया था। तत्पश्चात, बैंक ने अप्राधिकृत रूप से दिल्ली दुग्ध योजना के परिसर पर अतिक्रमण किया तथा अपने परिचालन स्थान को बढ़ा रहा था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दिल्ली दुग्ध योजना ने कई बार कृषि मंत्रालय को सूचित किया था (जून 2001) कि बैंक ने बिना अनुमति के ही 3150 वर्ग फुट के अतिरिक्त क्षेत्र को अधिकृत कर लिया था। इस प्रकार, बैंक द्वारा अधिकृत क्षेत्र 4348.64 वर्ग फुट (1198.64 वर्ग फुट जमा 3150 वर्ग फुट) अर्थात, 404 वर्ग मीटर तक बढ गया था।

मंत्रालय ने पाया (नवम्बर 2001) कि अनाधिकृत प्रवेश को रोक पाने में दिल्ली दुग्ध योजना की विफलता, एक गंभीर कमी थी।

सामान्य पूल आवास से परिचालित बैंको से लाईसेंस शुल्क प्रभारित करने के लिए सं.नि. ने 16 मार्च 1999 से प्रभावी आदेश जारी किए थे। तथापि, दिल्ली दुग्ध योजना सं.नि. द्वारा निर्धारित दरों तथा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अधिकृत क्षेत्र की गणना करे

बिना ही ₹ 4742 प्रति माह की निश्चित राशि प्राप्त करने के लिए सहमत हुआ था। यह पहले की दरों पर, 25 *प्रतिशत* की बढ़ोतरी कर प्राप्त किया गया था, जैसा पट्टा विलेख में दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दि.दु.यो. द्वारा बैंक से प्रभारित लाइसेंस शुल्क, स.नि. द्वारा निर्धारित दरों से बहुत कम था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.87 करोड़ का लाइसेंस शुल्क कम उदग्रहण हुआ था।

इसी प्रकार, दि.दु.यो. द्वारा 11.90 वर्ग मीटर की जगह जनवरी 2007 के अनुबंध के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक को ए.टी.एम. खोलने के लिए पट्टे पर दी गई थी। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि दिल्ली दुग्ध योजना ने ₹ 220 प्रति वर्ग मीटर की दर से अर्थात ₹ 2618 प्रति माह का लाइसेंस शुल्क प्रभारित किया था। यद्यपि यह दर सं.नि. द्वारा अप्रैल 2011 से ₹ 5414 प्रति माह तक बढ़ाकर संशोधित कर दी गयी थी। इस प्रकार, सं.नि. की निर्धारित दर लागू न किए जाने के कारण ₹ 1.17 लाख की राशि के लाइसेंस शुल्क की कम वसूली हुई थी।

इस प्रकार, मार्च 1999 से नवम्बर 2012 तक की अवधि के दौरान दि.दु.यो. द्वारा निर्धारित दरों पर लाइसेंस शुल्क प्रभारित करने में विफलता के कारण ₹ 1.88 करोड़ के लाइसेंस शुल्क की कम वसूली हुई**(अनुबंध-1)**। इसके अतिरिक्त, परिसर के अनाधिकृत कब्जे हेतु भारतीय स्टेट बैंक से कोई दंडात्मक क्षतिपूर्ति नहीं ली गई थी।

मामला मई 2013 में मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर जून 2013 तक प्रतीक्षित था।

2.3 निधियों का समयपूर्व जारी करना

मंत्रालय ने रा.कृ.ग्रा.वि.बै. को "कटड़ों का संरक्षण एवं पालन" योजना के अंतर्गत एक अधूरे प्रस्ताव के आधार पर और योजना के प्रावधानों के उल्लंघन में ₹ 1.92 करोड़ की राशि जारी की। परिणामस्वरूप रा.कृ.ग्रा.वि.बैं. द्वारा राशि का उपयोग न किए जाने के कारण निधियों का नौ से अधिक माह तक अवरोधन हुआ।

कृषि मंत्रालय ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र क्षेत्रीय योजना 'कटड़ों का संरक्षण और पालन' के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक अनुमति दी थी। ₹ 300 करोड़ के परिव्यय के साथ योजना को, योजना अवधि अर्थात् 2008-09 से 2011-12 के दौरान राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (रा.कृ.ग्रा.वि.बैं.) के माध्यम से कार्यान्वित होना था।

योजना के मुख्य उद्देश्य मांस उत्पादन, भैंस के मांस और सह-उत्पाद की निर्यात एवं घरेलू बाजार और चमड़ा उद्योग हेतु कच्चे माल आधार की वृद्धि के लिए उपलब्धता बढ़ाने के लिए कटड़ों का संरक्षण और पालन करना था।

योजना दिशानिर्देश के अनुसार, प्रत्येक राज्य में, संबंधित राज्य सरकार के पशु-पालन विभाग के प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं मॉनिटरिंग समिति (रा.स्त.अ.मॉ.स.) गठित होनी थी। समिति की बैठकें आवधिक रूप से होनी थी और उपयुक्त प्रस्तावों को मंजूर करना था। रा.कृ.ग्रा.वि.बैं. के क्षेत्रीय अधिकारी को केन्द्रीय अधिकारी के रूप में कार्य करना था, जो रा.स्त.अ.मॉ.स. की संबंधित राज्यों में लागू होने वाली परियोजनाओं पर विचार करने के लिए बैठकें आयोजित करने के लिए जिम्मेदार था। योजना हेतु उपलब्ध निधियां मंत्रालय द्वारा रा.कृ.ग्रा.वि.बैं. को रा.स्त.अ.मॉ.स. के द्वारा संस्वीकृति विशिष्ट परियोजना प्रस्तावों के प्रति की जानी थी जिसका रा.कृ.ग्रा.वि.बैं. द्वारा एक माह के अंदर वितरण किया जाना था।

रा.कृ.ग्रा.वि.बैं. ने मंत्रालय के समक्ष योजना के कार्यान्वयन हेतु ₹ 4.37 करोड़ की धनराशि की मांग करते हुए एक प्रस्ताव रखा (अगस्त 2010) था। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रस्ताव में केवल योजना के विविध घटकों के अंतर्गत अपेक्षित निधि के विवरण ही सम्मिलित थे। प्रस्ताव रा.स्त.अ.मॉ.स. द्वारा यथोचित रूप से अनुमोदित विशिष्ट परियोजना को सम्मिलित नहीं करता था। इस प्रकार, योजना में दिशानिर्देशों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने इसके अतिरिक्त पाया कि मंत्रालय के एकीकृत वित्त प्रभाग (ए.वि.प्र.) ने यह जानते हुए कि रा.कृ.ग्रा.वि.बैं. द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अपूर्ण था, ₹ 1.92 करोड़ की राशि को जारी करने का अनुमोदन किया था। निधियां सितम्बर 2010 में जारी की गयी थीं। तदुपरांत, रा.कृ.ग्रा.वि.बैं. धनराशि का उपयोग, पशु-वध अधिनियम के अंतर्गत भैसों की हत्या पर प्रतिबंध लगने के कारण राज्य सरकारों से परियोजना प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण नहीं कर पाया था। इसके फलस्वरूप, इसने 'सुअर बाडा विकास' नामक अन्य योजना के अंतर्गत धनराशि के उपयोग की अनुमति मांगी (मई 2011), जिसके लिए मंत्रालय ने अनुमति प्रदान कर दी थी (जून 2011)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय के इस कार्रवाई के कारण वित्त वर्ष, जिसमें मूलतः निधियां संस्वीकृति की गई थीं, की समाप्ति के बाद निधियों का पुनर्विनियोजन हुआ। इस प्रक्रिया में, इसने सामान्य वित्त नियमावली के नियम 59 का उल्लंघन किया, जो व्यवस्था करता है कि निधियों को पुनर्विनियोजन की संस्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा

ऐसे अनुदान अथवा विनियोजन जिस वित्त वर्ष से संबंधित हैं, की समाप्ति के पूर्व किसी भी समय दी जा सकती है। मंत्रालय की कार्रवाई इस प्रकार अनियमित थी।

मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि सुअर-बाड़ा विकास योजना को निधियों का विपथन उपलब्ध निधि के एक ऐसी योजना, जहाँ अधिक धनराशि की मांग थी, में बेहतर उपयोग के एकमात्र अभिप्रेत से किया गया था। इसके अतिरिक्त, रा.कृ.ग्रा.वि.बैं. द्वारा "कटड़ों का संरक्षण एवं पालन" योजना के अन्तर्गत निधियों का उपयोग लाभार्थियों की रूचि पर निर्भर था तथा इस प्रकार की योजनाएं अक्सर चलने में कुछ अधिक समय लेती हैं।

मंत्रालय द्वारा निधियों के रा.कृ.ग्रा.वि.बैं. द्वारा प्रस्तुत अधूरे प्रस्ताव, जो योजना के प्रावधानों की संगति में नहीं था, के आधार पर अनियमित निर्गम के मुद्दे को उत्तर पुष्टि नहीं करता था। यह मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव के अपर्याप्त जाँच को भी दर्शाता है। इसके बाद मंत्रालय का अन्य योजना हेतु निधियों का विपथन का कदम भी अनियमित था और इसने संसदीय प्राधिकृत की प्रक्रिया को कमजोर बनाया।